Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमन्द में आरोपी श्री राहुल सुखीजा हाल पटवारी रिछेड अतिरिक्त चार्ज थुरावड़ तहसील गढबोर जिला राजसमंद नाबालिग बालक के मार्फत 7,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार।**

जयपुर, 24 अप्रेल, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी राजसमन्द द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री राहुल सुखीजा निवासी गोलुवाला निवादान तहसील पिलीबंगा पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ़ हाल हल्का पटवारी रिछेड अतिरिक्त चार्ज थुरावड तहसील गढबोर जिला राजसमंद को परिवादी के राजस्व ग्राम थुरावड में स्थित कच्चे शुदा जमीन को धारा 91 राजस्थान भू–अधिनियम के तहत रिकॉर्ड में लेने एवं धारा 91 का नोटिस जारी करने की एवज में 10,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग क रिश्वत राशि 7,000/– रूपये नाबालिग बालक के मार्फत प्राप्त करने पर आरोपी श्री राहुल सुखीजा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी राजसमन्द को एक शिकायत इस आशय की मिली कि श्री राहुल सुखीजा पुत्र श्री पवन सुखीजा जाति अरोड़ा द्वारा परिवादी के राजस्व ग्राम थुरावड में स्थित कब्जे शुदा जमीन को धारा 91 राजस्थान भू–अधिनियम के तहत रिकॉर्ड में लेने एवं धारा 91 का नोटिस जारी करने की एवज में 10,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा हैं।

जिस पर एसीबी रेंज उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी चौकी राजसमन्द के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिम्मत चारण** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री राहुल सुखीजा हाल हल्का पटवारी रिछेड अतिरिक्त चार्ज थुरावड तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द को रिश्वत राशि 7,000/– रूपये नाबालिग बालक के मार्फत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।